अजमेर में ज्वैलर्स के पास काम कर रहा कर्मचारी ही निकला जेवर चोरी का आरोपी

आरोपी ने जुआ-सट्टे में बड़ी रकम हारने के बाद जेवर चोरी की वारदात को अंजाम था

- कोटा से आरोपी को गिरफ्तार कर अजमेर लेकर आई पुलिस, पूछताछ जारी
- आरोपी करीब 18 वर्षों से ज्वैलर्स की दुकान पर काम कर रहा था

अजमेर, (निसं)। नया बाजार चौपड़ स्थित लखोटिया ज्वैलर्स की दुकान से सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आदर्श नगर निवासी दिलीप चौरसिया के रूप में हुई है। आरोपी पिछले करीब 18 वर्षों से ज्वैलर्स की दुकान पर काम कर रहा था और दुकान की गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित था। पुलिस आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर अजमेर लेकर आई, जहां उससे चोरी की वारदात और चोरी किए गए जेवरात के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि ज्वैलर्स की दुकान से सोने और चांदी के आभूषण चोरी होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों और घटना से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। जांच में आदर्श नगर निवासी दिलीप चौरसिया की भूमिका संदिग्ध सामने आई। वारदात के बाद से ही वह फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि फरार होने से पहले दिलीप चौरसिया की आखिरी बातचीत झालावाड़ में रहने वाले उसके जीजा से हुई थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम झालावाड़ पहुंची और उसके जीजा से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को दिलीप के ठिकाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने उसकी तलाश तेज करते हुए कोटा में दबिश दी। पुलिस ने दिलीप चौरसिया को कोटा से गिरफ्तार कर लिया और उसे अजमेर लेकर पहुंची। पुलिस अब आरोपी से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात तथा वारदात में उसकी भूमिका को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से जुआ और सट्टा खेलने का आदी है। सट्टे में उसके ऊपर बड़ी रकम हारने के बाद आर्थिक दबाव बढ़ गया था। इसी के चलते उसने लखोटिया ज्वैलर्स की दुकान से जेवरात चोरी करने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी करीब 18 वर्षों से दुकान पर काम कर रहा था, इसलिए उसे दुकान की व्यवस्था और अन्य गतिविधियों की अच्छी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने कथित तौर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद अजमेर से फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस आरोपी से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी का माल उसने कहां छिपाया या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा है या नहीं। साथ ही पुलिस आरोपी के जुआ-सट्टे से जुड़े संपर्कों और आर्थिक लेनदेन की भी जानकारी जुटा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद चोरी गए जेवरात की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।

अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में सह अभियुक्त को जमानत

जोधपुर, (कासं)। सिणधरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कथित जबरन वसूली, अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में सह अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ आसू को न्यायालय से जमानत मिल गई।

प्रकरण में पीड़िता की ओर से आरोप लगाया गया था कि उसे बहला-फुसलाकर घर से बाहर बुलाने के बाद अपहरण कर लिया गया तथा कई व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ कथित रूप से मारपीट, धमकी और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ने उक्त प्रकरण में अभियुक्त अशोक की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहसिन खान की बहस के आधारों को सुनने के बाद जमानत पर रिहा किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष द्वारा उसे दबाव में रखा गया तथा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर कथित रूप से फर्जी साथ रहने संबंधी दस्तावेज तैयार करवाए गए। मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में अशोक कुमार सहित कई व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।

आरोपी अशोक कुमार पुत्र रामाजी की ओर से अधिवक्ता मोहसिन खान ने जमानत आवेदन पेश किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष मामले की पूरी पृष्ठभूमि रखते हुए पक्षकारों के बीच पूर्व विवाद, पूर्व न्यायिक कार्यवाही तथा क्रॉस केस के घटनाक्रम को प्रमुखता से रखा। बचाव पक्ष की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पूर्व में हुई कार्यवाही तथा आपराधिक रिट याचिका को पारित आदेश का भी न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया। अधिवक्ता ने बताया कि अशोक कुमार के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं बताया गया है। साथ ही, मामले में एक सह अभियुक्त को पूर्व में जमानत का लाभ मिल चुका है।

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मामले के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसे में आरोपी को लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रखना उचित नहीं होगा। अधिवक्ता मोहसिन खान ने पूर्व विवाद, क्रॉस केस, पूर्व न्यायिक कार्यवाही तथा आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अभाव जैसे बिंदुओं को जमानत के महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ केस डायरी का अवलोकन किया। न्यायालय ने मामले की समग्र परिस्थितियों, पूर्व न्यायिक कार्यवाही, सह अभियुक्त को मिली जमानत तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अशोक कुमार को जमानत का लाभ देना उचित माना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत के स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की जा रही है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी अशोक कुमार को जमानत प्रदान कर दी।

चूरू में अवैध हथियार सहित एक गिरफ्तार

चूरू, (कासं)। पुलिस थाना कोतवाली चूरू ने ऑपरेशन "क्लीन स्वीप" के तहत अवैध देशी कट्टा सहित एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम आईपीएस ने बताया कि गौरव खिड़िया थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू द्वारा गठित स्पेशल टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त करने हेतु रवाना होकर कस्बा चूरू में झरिया मोरी पहुंचे। वहां मुखबिर से इत्तला मिली कि कैलाश सैनी पुत्र मांगीलाल माली निवासी सरदारशहर जिसने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है जो अपनी काले रंग की अपाची आरटीआर मोटरसाइकिल से गाजसर से गोयनका स्कूल की तरफ होता हुआ झरिया मोरी की तरफ आ रहा है, जिसने अपने पास एक अवैध देशी कट्टा छुपा रखा है जो बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहा है।

जिस पर पुलिस द्वारा शीतला चौकी के सामने नाकाबन्दी शुरू की गई। उसी समय गोयनका स्कूल की तरफ से एक काले रंग की अपाची मोटरसाईकिल आती हुई दिखाई दी। जिसको पुलिस टीम ने रोककर नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश सैनी पुत्र मांगीलाल निवासी वार्ड नम्बर 14 पीरजी की दरगाह के पास कस्बा सरदारशहर थाना सरदारशहर जिला चूरू होना बताया। जिसके कब्जा से एक देशी कट्टा मय घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल बरामद किया। मुल्जिम से हथियार लाने व घटना के बारे में अनुसंधान जारी है।

मीरां महोत्सव परवान पर

मेड़ता सिटी, (निसं)। 522वां मीरा महोत्सव परवान पर है। भक्त शिरोमणि मीरांबाई और भगवान श्रीचारभुजा नाथ मंदिर में बड़ी तादात में भक्त आ रहे हैं। प्रतिदिन देश के जाने माने कलाकार भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। शुक्रवार रात्रि को मीरां स्मारक प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अनीता जांगिड़, राकेश प्रजापत जोधपुर आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान महोत्सव समिति अध्यक्ष मुकेश जोशी सहित समिति के पदाधिकारियों ने मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, पतासी देवी कलरू, एडवोकेट लाखा राम मेहला, भजन दास जीनगर, रवि कमेडिया, छोटू राम गहलोत, कैलाश गौड़, विमला देवी मेहला, संतोष देवी कलरू आदि आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया।

लोहे की रॉड से किराना स्टोर का शटर तोड़कर चोरी

गंगापुर सिटी, (निसं)। स्थानीय शिवपुरी बी स्थित गोविंद किराना स्टोर में शुक्रवार रात चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर नकदी और हजारों का सामान चुरा लिया। घटना का पता शनिवार सुबह करीब छह बजे चला, जब सुबह घूमने निकले लोगों ने दुकान का शटर खुला देखा और दुकानदार को सूचित किया।

दुकानदार गोविंद के अनुसार उन्होंने शुक्रवार शाम को रोजाना की तरह दुकान बंद कर दी थी। चोरों ने पहले दुकान के बाहर स्थित मकान मालिक के गेट पर बाहर से कुंडी लगाई। इसके बाद, लोहे की रॉड का उपयोग कर दुकान का शटर ऊपर उठाया और ताला तोड़ दिया। चोर दुकान के गल्ले से लगभग 5 से 7 हजार रुपए नकद ले गए। इसके अतिरिक्त सिगरेट के पैकेट, ड्राईफ्रूट और खाने-पीने का अन्य सामान भी चुराया गया। दुकानदार ने बताया कि चोर दुकान में रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ ले गए। चोरी की इस वारदात के दौरान चोरों ने दुकान में तलाशी ली और सामान समेटा। सुबह जब लोगों ने दुकान खुली देखी तो उन्होंने दुकानदार को सूचित किया और बाहर लगे गेट की कुंडी भी खोली। दुकानदार ने बताया कि फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई है। इस चोरी की वारदात से आसपास के दुकानदारों में भी चिंता का माहौल है।

अस्पताल के पास बाइक चोरी का प्रयास, वाहन चोर गिरफ्तार

- आरोपीं के कब्जे से दो बाइक और स्कूटी बरामद की
- आरोपित वाहन चोरी करने के बाद दूसरे स्थान पर छोड़ देता था

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी की गई दो बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित वाहन चोरी करने के बाद उन्हें एक स्थान से चोरी कर दूसरे स्थान पर छोड़ देता था। पुलिस अब आरोपित से पूछताछ कर उसके द्वारा की गई अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है और वाहन चोरी का प्रयास कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच के दौरान उसके वाहन चोरी में शामिल होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार आरोपित वाहन चोरी करने के बाद उन्हें अपने पास नहीं रखता था, बल्कि एक स्थान से वाहन चोरी करने के बाद दूसरे स्थान पर छोड़ देता था। इस तरह वह पुलिस की नजर से बचने का प्रयास करता था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपित के कब्जे से दो बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित ने अब तक शहर के किन-किन इलाकों से वाहन चोरी किए हैं और चोरी किए गए वाहनों को कहां-कहां छोड़ा। पूछताछ के दौरान वाहन चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस बरामद वाहनों के संबंध में भी उनके मालिकों की जानकारी जुटा रही है।

सड़क हादसे में दो युवक घायल

हिंडौन सिटी, (निसं)। बयाना मार्ग पर धंधावली टोल प्लाजा के पास शनिवार दोपहर में दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरौठ थाना के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें शनिवार दोपहर 3:15 बजे धंधावली टोल प्लाजा के पास बाइक भिड़ंत में दो लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सड़क पर घायल पड़े दोनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया। एएसआई ने बताया कि घायल युवकों की पहचान बयाना के भगोरी निवासी रोहित गुर्जर (20) और नवीन गुर्जर (21) के रूप में हुई है। डॉक्टर दर्शन सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि दोनों को गंभीर चोटें आई है।

कोटा में 12 लाख का डोडा-चूरा बरामद, जोधपुर निवासी युवक गिरफ्त में

- जिला स्पेशल टीम व सुल्तानपुर पुलिस टीम ने कार से 47 किलो डोडा-चूरा बरामद किया

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये ग्रामीण पुलिस की ओर से चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम व सुल्तानपुर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध मादक पदार्थ 47 किलो 74 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सुल्तानपुर क्षेत्र के भौंरा रोड पर जिला स्पेशल टीम के पुलिस निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार राणा व सुल्तानपुरा थानाधिकारी दौलत साहु के नेतृत्व मे टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। पुलिस नाकाबंदी के दौरान भौंरा रोड की तरफ से एक कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी, पुलिस नाकाबंदी को देखकर कार चालक ने कार को मेन रोड साईड से अमरपुरा के माल की तरफ कच्चे रास्ते में घुमाकर ले गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कार चालक पर संदेह होने पर पुलिस टीम ने आगे जाकर घेराव कर कार को रूकवाया और कार चालक द्वारा संतोषप्रद जबाव नहीं देने पर कार चालक को डिटेन कर कार की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान कार के पीछे की सीट पर काले कट्टे में 47 किलो 74 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा बरामद अवैध मादक पदार्थ की कीमत करीब 12 लाख 16 हजार रूपये बताई गई है। पुलिस टीम ने माल व कार को जप्त कर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए जिला जोधपुर के थाना डांगियावास निवासी नरेश विश्नोई (28) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

नीमकाथाना के स्यालोदड़ा में एक माह में सिलिकोसिस से तीसरी मौत

- ग्रामीणों ने क्षेत्र में संचालित खनन और क्रशर गतिविधियों से उड़ने वाली धूल एवं प्रदूषण पर सवाल उठाए
- ग्रामीणों ने खनन-क्रशर गतिविधियों की निष्पक्ष जांच, प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच और प्रभावित गांवों में व्यापक स्वास्थ्य सर्वे कराने की मांग की

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना क्षेत्र के स्यालोदड़ा में सिलिकोसिस से लगातार हो रही मौतों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को 31 वर्षीय मंजीत की सिलिकोसिस से मौत हो गई। एक महीने में यह क्षेत्र में सिलिकोसिस से तीसरी मौत बताई जा रही है। मंजीत अपने पीछे पत्नी मुनेश (26), बेटी जीविता (12) और पुत्र दीपांशु (9) को छोड़ गए हैं। इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जानकारी के अनुसार इससे पहले स्यालोदड़ा निवासी 38 वर्षीय मनोज धानका और बुजियाला निवासी 45 वर्षीय पूरण गुर्जर की भी सिलिकोसिस से मौत हो चुकी है। लगातार मौतों के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में संचालित खनन और क्रशर गतिविधियों से उड़ने वाली धूल एवं प्रदूषण पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने खनन-क्रशर गतिविधियों की निष्पक्ष जांच, प्रदूषण की वैज्ञानिक जांच और प्रभावित गांवों में व्यापक स्वास्थ्य सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही सिलिकोसिस प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।

विचाराधीन बंदी रूपाराम की मौत के मामले में मुआवजा देने के आदेश

- हाईकोर्ट ने मौत को प्रथमदृष्टया न तो प्राकृतिक माना और न आत्महत्या
- कोर्ट ने राज्य सरकार को रूपाराम के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल जोधपुर में न्यायिक हिरासत के दौरान विचाराधीन बंदी रूपाराम की मौत के मामले में राज्य सरकार को उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मौत को प्रथमदृष्टया न तो प्राकृतिक माना और न आत्महत्या। साथ ही पुलिस महानिदेशक को 48 घंटे में एफआइआर दर्ज करने और जांच राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी से कम रैंक के अधिकारी को नहीं सौंपने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने कहा कि रूपाराम की मौत जेल प्रशासन और राज्य के नियंत्रण में हुई, इसलिए प्रशासन अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हत्या हुई या नहीं और किसी की आपराधिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं, इसका फैसला निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच के बाद होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक जांच उपयोगी सामग्री उपलब्ध करा सकती है, लेकिन आपराधिक जांच का स्थान नहीं ले सकती। खासकर तब, जब घटना से जुड़ी अधिकांश सामग्री उन्हीं राज्य अधिकारियों से संबंधित हो, जिनके आचरण की जांच होनी है। ऐसे में निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र जांच जरूरी है। पीठ ने सभी निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट 60 दिन में पेश करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार रूपाराम की 2 जुलाई 2025 को मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर छह चोटें मिलीं। इनमें सिर पर पांच और हाथ पर एक चोट थी। दो चोटें धारदार और अन्य कुंद वस्तु से लगी थीं। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा कि हालत गंभीर होने के बावजूद करीब आधे घंटे तक कोई नर्स, कंपाउंडर, चिकित्सक या जेल अधिकारी उसके पास नहीं पहुंचा। साथी कैदी ही उसे बचाने का प्रयास करते रहे। कोर्ट ने कहा कि समय पर पर्याप्त चिकित्सा मिलने पर उसकी जान बचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने जेलों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त सीसीटीवी, शौचालय और पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डिस्पेंसरी में जीवनरक्षक दवाएं, जरूरी उपकरण और ईसीजी जैसी सुविधाएं रखने तथा समर्पित चिकित्सा कर्मियों की तैनाती पर निर्णय लेने को कहा है। मामले की अनुपालना रिपोर्ट 60 दिन में पेश करनी होगी। मामला 30 अक्टूबर 2026 को फिर सूचीबद्ध किया गया है।

डिग्गी मेले में बिछड़े मासूमों को परिजनों से मिलवाया

टोंक, (निसं)। डिग्गी कल्याण मेले में दर्शन करने के लिए देशभर से श्रद्धालु आ रहे हैं, इसी बीच कस्बा डिग्गी में लक्खी मेले में भारी भीड़ के बीच परिजनों से मासूम बच्चियां बिछड़ गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें परिजनों से मिलवाया गया।

कल्याण मंदिर से कंट्रोल रूम के बीच एक बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ी हुई मिली, करीब 3-4 साल की बच्ची के परिजनों की तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो खंगाले। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तलाश कर बच्ची को परिजनों को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। भीड़ में एक अन्य छोटी बच्ची भी परिवार से बिछड़ गई। बच्ची को रोते देख डिग्गी थाने के सूचना अधिकारी गिरिराज ने उसे अपने पास लिया और शांत कराया। इसके बाद काफी देर तक बच्ची को सुरक्षित रखते हुए उसके परिजनों की तलाश की गई। लगातार प्रयासों के बाद बच्ची को उसके माता-पिता से मिलवाकर सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया गया।

108 एंबुलेंस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया

टोंक, (निसं)। 108 एंबुलेंस के पायलट और ईएमटी ने शनिवार को प्रसूता को प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के बाद एंबुलेंस को रोड किनारे खड़ी करके सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी करवाई, जिसके बाद महिला ने लड़के को जन्म दिया है, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है, जिन्हें निवाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद परिजनों और एंबुलेंसकर्मियों ने राहत की सांस ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार निवाई तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुंसी के अजीतपुरा की ढाणी निवासी मनीषा बैरवा (22) पत्नी विपिन बैरवा को शनिवार सुबह जब प्रसव पीड़ा हुई तो इसके लिए परिजनों ने 108 एंबुलेंस को कॉल किया। जहां सूचना पर 108 स्टाफ ईएमटी अखिलेश और पायलट रामसहाय गुर्जर एंबुलेंस लेकर अजीतपुरा की ढाणी पहुचे तथा मनीषा बैरवा को अपनी सूझ बूझ दिखाते हुए एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाकर निवाई के लिए रवाना हुए। इस दौरान बीच रास्ते में मूंडिया गांव के पास प्रसव पीड़ा बढ़ गई। इस पर 108 स्टाफ अखिलेश और रामसहाय गुर्जर ने एंबुलेंस को रोड किनारे खड़ी कर सुरक्षित नॉर्मल डिलीवरी करवा गई।

बजरी से भरा डंपर जब्त

मसूदा, (निसं)। मसूदा थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान देवमाली मार्ग पर बजरी से भरे एक डंपर को पकड़कर खनन विभाग के सुपुर्द किया। डंपर चालक के पास बजरी परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और रवाना पर्ची नहीं मिलने पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया। बाद में खनन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए करीब चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

कछुआ दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

- शाहपुरा पुलिस ने 99 हजार नकद और क्रेटा कार जब्त की
- आरोपियों ने कानोता व लालसोट में भी ठगी की वारदातें करना कबूल की

शाहपुरा थाना पुलिस ने कछुआ दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा।

पावटा, (निसं)। कछुआ दिखाकर लोगों को सस्ते दाम में खरीदकर महंगे दाम में बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ शाहपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 99 हजार रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद करने के साथ ही एक क्रेटा कार भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने कानोता और लालसोट थाना क्षेत्रों में भी इसी तरीके से ठगी की वारदातें करना स्वीकार किया है।

पुलिस के अनुसार 20 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि क्रेटा कार में तीन युवक अलवर तिराहे के पास बैठे हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में रुपए हैं। सूचना थी कि आरोपी कछुआ बेचने का बहाना बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं तथा नकली कछुआ दिखाकर रुपए हड़प लेते हैं। सूचना पर शाहपुरा थाना पुलिस टीम अलवर तिराहे पहुंची, जहां मुखबिर द्वारा बताए नंबर की क्रेटा कार खड़ी मिली। कार में तीन युवक बैठे थे। पुलिस ने उन्हें डिटेन कर पूछताछ की तो उनकी पहचान करण बावरिया (26), दिनेश कुमार मीणा उर्फ दीपु (30) और महावीर सिंह मीणा (27) के रूप में हुई। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसकी पिछली डिग्गी में काले रंग का बैग मिला। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 99 हजार रुपए मिले। नकदी के संबंध में आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। गहन पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को कछुआ और नोटों से भरा बैग दिखाकर ठगी करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को कछुआ दिखाकर उसे सस्ते दामों में खरीदने और ऊंचे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देते थे। लालच में आने वाले लोगों से रुपए लेने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों एवं संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस आरोपियों से कछुआ दिखाकर की गई अन्य ठगी की वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है।

सादुलपुर के गांव ददरेवा में प्याऊ लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट

सादुलपुर, (निसं)। गांव ददरेवा में सार्वजनिक प्याऊ लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट के आरोप में पुलिस ने परस्पर मामला दर्ज किया है।

राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि मोनू पुत्री ओमप्रकाश वालिया ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उनके घर के सामने खाली जमीन पर पहले से सार्वजनिक प्याऊ लगी हुई है। आरोप है कि 20 अगस्त की रात अमित रुलानिया सहित कुछ लोग उनके घर आए और वहां लगी प्याऊ हटाकर बड़ी सार्वजनिक प्याऊ लगाने की बात कहकर चले गए। 21 अगस्त को करीब 11:20 बजे अमित, ईश्वर, अनीश रुलानिया, रवि जाट, रणवीर, सतपाल, रामनिवास सहित अन्य लोग प्याऊ के पास पहुंचे। मोनू ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ गाली-गलौच और मारपीट की गई तथा अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप लगाया गया कि शोर सुनकर महिला का भाई संदीप मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। महिला ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात पुलिस को बताई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिला के सिर और माथे में दर्द की शिकायत पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया।

इसी क्रम में राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि दूसरे पक्ष के मुकेश पुत्र सुभाषचंद्र ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि हर वर्ष गोगाजी महाराज के लक्खी मेले में यात्रियों के लिए प्याऊ लगाई जाती है। दर्ज मामले में बताया कि उनके संगठन की ओर से ग्राम पंचायत से 19 अगस्त को गणगौर चौक में प्याऊ लगाने की अनुमति ली गई थी और संगठन के सदस्य इसकी तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मोनू, संदीप, पवन, दीपक, विकास, ज्योति, किरण और जोनी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और प्याऊ लगाने की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ मारपीट की तथा मुकेश पर हमला करने तथा उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने का आरोप लगाया गया है तथा बताया कि पहले पक्ष के लोगों ने युवाओं को प्याऊ लगाने पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई। मुकेश ने दर्ज मामले में कुछ लोगों पर अवैध नशे के कारोबार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संगठन द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। राजगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।